कार्यालय प्राचार्य सरोजिनी नायडू शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवाजी नगर, भोपाल

निविदा विज्ञप्ति 2020 –21

विषय : पुस्तकालय के लिये पुस्तकों के क्रय हेतु भावपत्र (निविदा) का आमंत्रण।

- इस महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय किया जाना है। पुस्तक विक्रेता निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दस दिन के अंदर अपने भावपत्र केवल निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए सीलबंद लिफाफे में भेजें। पुस्तकें क्रय हेतु सीलबंद लिफाफे पर निविदा तथा निविदा भेजने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य है।

क्रं.	विदेशी पुस्तकें व विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा में परिवर्तन की दर	कटौती की दर
1	पौंड		...,...
2	डॉलर		...,...
3	अन्य विदेशी मुद्रायें		...,...

भारतीय पुस्तकें

1	विभिन्न विषयों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें **(A)** पेपर बेक्स	...,...
	(B) हार्ड बाउंड	.....
2	उर्दू , संस्कृत एवं संगीत	.....
3	उपन्यास – हिन्दी, अंग्रेजी ,उर्दू	...,...
4	स्व–प्रकाशन	...,...
5	शासकीय प्रकाशन एवं शासकीय नियमों से संबंधित पुस्तकें	...,...
6	संदर्भ पुस्तकें	...,...
7	ई–बुक्स **(E-Books)**	
	इसके अतिरिक्त निम्न जानकारी अलग से दी जाये।	...,...
1	पैकिंग, फारवर्डिंग चार्जेस।	...,...
2	टैक्स यदि कोई देय हो ।	...,...
3	अवधि जिसमें आप क्रयादेश की पूर्ति कर सकें	...,...
4	अन्य कोई शर्त हो तो स्पष्ट की जाये	...,...

- ❖ निविदा भरने वाले पुस्तक विक्रताओं को दी गई समय सीमा के अंदर निर्धारित दरों पर सूची के अनुसार आदेश की पूर्ति करनी होगी। ऐसा न करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी और महाविद्यालय क्रमिक निविदा कर्ता को आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा ।
- ❖ पुस्तकें नवीनतम संस्करण की होना चाहिए।
- ❖ पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होगा। मुद्रित मूल्य न होने पर प्राइज़ प्रूफ देना अनिवार्य है
- ❖ आयकर विभाग का **Permanent Account No.** एवं **GST Registration No.** आवश्यक है
- ❖ आपके भावपत्र 30 जून 2021 तक वैध रहेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ❖ निविदा भरने वाले पुस्तक विक्रेताओं को प्रतिभूति राशि के रूप में रू. 5000/–का डिमांड ड्राफ्ट वापसी योग्य संलग्न करना अनिवार्य है, जो प्राचार्य स. ना .शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल म. प्र. के नाम से देय हो ।
- ❖ एफ ओ आर महाविद्यालय परिसर होगा।
- ❖ पुस्तकों के क्रय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे। कोई भी विवाद होने पर प्राचार्य का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।

PRINCIPAL

प्राचार्य